. . . ., सुपौल)

पत्रांक 72(SSA)

प्रेषक –
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, सुपौल।

सेवा मे

अध्यक्ष/प्रबंधक
सावित्री प्रभा पब्लिक
स्कूल, वीरपुर

सुपौल, दिनांक 30/01/2018

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय/महाशया,

आपके द्वारा प्राप्त आवेदन और उसके क्रम में विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं निर्धारित प्रस्वीकृति कमिटि द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय सावित्री प्रभा पब्लिक स्कूल वीरपुर जिला–सुपौल (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) प्रथम कक्षा से ...... कक्षा तक वर्ग संचालन हेतु 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति / प्रस्वीकृति विस्तार की स्वकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृत निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी :–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बार मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियामावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पडोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्वत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ती की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार कैपिटेशन का फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे :–
   - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जाएगा और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   - II. किसी भी बच्चें को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
   - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशी किया जाएगा।
   - VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 03 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

CamScanner

9 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओ के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे उद्वत मानको एव मापदंडो को बरकरार रखेगा। स्वघोषणा–पत्र एवं आवेदन पत्र के आधार पर विद्यालय के अतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् हैं –

विद्यालय--परिसर का क्षेत्रफल :–2ए०51० डिसमिल SQ.M
कुल निर्मित क्षेत्र :–5522...... वर्ग फीट
खेल के मैदान का क्षेत्र :– ....है।........
वर्गकक्षों की कुल संख्या :– ....19..
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष :– .....है।........
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय :– है।........
पेयजल की सुविधा :– ......है।.......
बाधारहित पहुँच :–..............है।
शिक्षण अधिगम सामग्री :–.........है। है।   खेल–कूद उपकरण :–है।   पुस्तकालय :1640

11 कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13 विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1880 (1880 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए सचालित नही होगा।

15 लेखा का अकेक्षण एव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक मे उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रति वर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, सुपौल को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या PSS-022.................है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्वत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, सुपौल अधीक्षक के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. विद्यालयों के लिये अधिनियम के अन्तर्गत जो मान और मानक निर्धारित है, उन्हें 03 (तीन) वर्षो के अन्दर पूर्ण कर लेनी पड़ेगी अन्यथा आपकी प्रस्वीकृति रद्द कर दी जायेगी। विद्यालय के लिए मान और मानक निम्नवत् है :–

क्र0	मद	मान और मानक	
	शिक्षको की सख्या		
		प्रवेश किये गये बालक	शिक्षकों की संख्या
		60 तक	2(दो)
		61–90 के मध्य	3(तीन)
		91–120 के मध्य	4(चार)
1	(क) पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा के लिए	121–200 के मध्य	5(पाँच)
		150 बालकों के ऊपर	पाँच धन एक प्रधान अध्यापक
		200 बालकों के ऊपर	छात्र–शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।
	(ख) छठी कक्षा से आठवी कक्षा के लिए	1. कम–से–कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस पकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम–से–कम एक शिक्षक हो :–	
		I. विज्ञान और गणित	

		2 प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम–से–कम एक शिक्षक
		3 जहाँ 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ –
		I एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक
		II अंशकालिक शिक्षण के लिए –
		अ कला शिक्षा
		आ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक
		ई कार्य शिक्षा
2	भवन	सभी मौसम वाला भवन, जिसमें निम्नलिखित होगें –
		1 प्रत्येक शिक्षक के लिए कम–से–कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह–भंडार–सह प्रधान अध्यापक कक्ष
		2. बाधा मुक्त पहुँच
		3 लडकों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय
		4. सभी बालकों के लिए सुरक्षित और प्रर्याप्त पेयजल
		5. रसोई, जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए
		6. सीमा दीवाल या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन कर सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाए
		7. खेल का मैदान
3	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	1. पहली से पाँचवी कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस
		2. छठी कक्षा से आठवी कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस
		3. पहली से पाँचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे
		4. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे
4	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या	45 (शिक्षण तैयारी के घंटे सम्मिलित करते हुए)
5	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।
6	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तके, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी है, उपलब्ध होगी।
7	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

विश्वासभाजन

29/01/18

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, सुपौल।

29/01/18

SAVITRI PRABHA PUBLIC SCHOOL ,BIRPUR (SUPAUL)
AFFILIATED TO CBSE, NEW DELHI
CBSE Affiliation No. : 331164, School No : 66955
Email : savitriprabhapublicschool@gmail.com Website: www.savitriprabhapublicschool.co.in
Contact us :-73524 16218, 90656 83195

Ref No.................................. Date. 10/12/2025

सेवा में,

श्रीमान् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा॰शि॰ एवं सर्व शिक्षा अभियान (सुपौल)

विषय:- नवीनीकरण के संबंध में,

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे विद्यालय सावित्री प्रभा पब्लिक स्कूल,वीरपुर प्रखंड बसंतपुर का क्यूआर कोड की अवधि समाप्त हो गई है। मेरे द्वारा नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित का कर दिया गया है। जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

अत: श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि मेरे विद्यालय का नवीनीकरण करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन
प्राचार्य
Rahul Amit

सावित्री प्रभा पब्लिक स्कूल वीरपुर
प्रखंड बसंतपुर (सुपौल)

अनुलग्नक:-

1) स्व॰घोषणा पत्र
2) सभी सदस्यों का शपथ पत्र
3) विद्यालय का फोटो
4) सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र
5) ऑडिट प्रतिवेदन
6) लीज पेपर
7) ट्रस्ट पेपर

प्राप्त
10/12/25

CamScanner